मुकद्मा नम्बर	तारीख रजू	तारीख फैसला
03/19	03.10.2019	31.10.2019

1.शकुन्तला पुत्री स्वर्गीय प्रकाश पत्नि सुरेश चन्द जाति जाटव निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील मनियॉ जिला धौलपुर
2.किरन पुत्री प्रकाश पत्नि सुभाष चन्द जाति जाटव निवासी ग्राम धर्मपुरा उप तहसील मनियॉ जिला धौलपुर

–अपीलाण्ट–

बनाम

1.ग्राम पंचायत मरहौली जरिये सरपंच उक्त पंचायत तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2.मनोज सरपंच ग्राम पंचायत मरहोली तहसील बाडी जिला धौलपुर
3.रेशो देवी पत्नि स्वर्गीय प्रकाश जाति जाटव निवासी ग्राम अर्रूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर
4.कप्तान सिंह पुत्र प्रकाश जाति जाटव निवासी ग्राम अर्रूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर
5.धर्मेन्द्र पुत्र प्रकाश जाति जाटव निवासी ग्राम अर्रूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर

–रैस्पोडेन्टान–

अपील व नाराजगी विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1203
निर्णय दिनांक 05.09.2018 सरंपच ग्रम पंचायत मरहोली तहसील बाडी

उपस्थितः–श्री रामबाबू कुलश्रेष्ठ एडवोकेट, अपीलाण्ट की ओर से
श्री राकेश कुमार लवानियां एडवोकेट, रेस्पोडेन्टान की ओर से

निर्णय

अपीलाण्ट ने इस आशय की अपील पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर 84 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा, खाता संख्या नई 233 में प्रकाश, धूपसिंह पुत्रगण लुखरू जाति जाटव निवासी ग्राम अर्रूआ तहसील बाडी 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जिनमें से प्रकाश पुत्र लुखरू का देहान्त हो चुका है तथा खाता नम्बर 102 के खसरा नम्बर 73 रकवा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकवा 11 बिस्वा , खसरा नम्बर 80 रकवा 11 विस्वा कुसल किता 3 कुल रकवा 2 बीघा स्थित ग्राम अर्रूआ तहसील बाडी का प्रकाश पुत्र लुंखरू एक मात्र खातेदार काश्तकार रहा। प्रकाश का देहान्त हो चुका है। तथा उसने अपने उत्तराधिकारीगण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 5 मृतक प्रकाश के कानूनी जायज वारिसान है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तथा निजी हैसियत से भी दीगर 3 लगायत 5 रेस्पोडेट से साज कर बाहरी विचार व सामग्री से प्रभावित होकर मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 5 के नाम दिनांक 05.09.2018 को नामान्तरकरण संख्या 1203 असलियत के खिलाफ जानबूझकर अपीलांट के नाम को छुपाते हुए फैसल कर दिया है। जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 भली भॉति जानती है कि मृतक के वारिसान से अपीलांट उसकी जायज पुत्री हैं जो जीवित है तथा उपरोक्त पते के गॉव में शादी शुदा है। तथा मृतक के तर्का पर काबिज है। उक्त नामान्तरकरण कतई गलत व अवैध खोला गया है जिससे अपीलांट व्यथित हुई है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 5 की पुश्तैनी आराजी है। तथा मृतक प्रकाश के पक्षकारान वारिसान होने के कारण सभी का नामान्तरकरण में आना चाहिए था क्योकि तहरीर रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 5 के हक में निष्पादित नही है, वह निरवसीयत मरा है। जिसका देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद ही हुआ है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज.

दिनांक 12.08.2019 को अपीलांट गॉव में खेत पर व्यवस्था के लिए आयी तब मॉ रेशो ने बताया कि तुम्हे पता ही नही है हमने तो दाखिला खारिज करा लिया तुम्हारा कुछ भी नही है। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नही रही है। तुरन्त नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 1203 दिनांक 05.09.2018 ग्राम अर्रूआ पर ग्राम पंचायत मरहोली का आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण में अपीलाण्टान का नाम शामिल किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टान को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान की की ओर से स्वीकारात्मक जबाब पेश किया है।

अपील के साथ अपीलांट ने नकल नामान्तरकरण संख्या 1203 दिनांक 05.09.18, नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075, नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

रेस्पोडेन्टान की ओर से कोई दस्तोवज पेश नही किया गया ।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडैन्टान ने बहस में कथन किया कि प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस मनन किया । प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1203 निर्णय दिनांक 05.09.2018 ग्राम अर्रूआ के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार प्रकाश की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा रेशो एवं उसके पुत्रों कप्तानसिह, धर्मेन्द्र के नाम यह नामान्तरकरण खोला गया है। प्रकाश की पुत्रियों शकुन्तला, किरन के नाम नामान्तरकरण नही खोला गया है जबकि शकुन्तला, किरन ,प्रकाश की जायज वारिसान प्रतीत होती है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम अर्रूआ ग्राम पंचायत मरहोली तहसील बाडी का नामान्तरकरण संख्या 1203 दिनांक 05.09.2018 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडी को पत्रावली रिमाण्ड की जाती है कि तहसीलदार बाडी पुनः जॉच कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। निर्णय तहसीलदार बाडी को भिजवाया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार मंगल)
उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar Mangal
Date: 2020.01.10 12:01:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: